

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक:- रा0खा0आ0(शिकायत)-10/2022- 156
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 27.02.2023

विषय:- गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पण्डरिया पंचायत के लाभुकों को तीन माह से फ्री का राशन नहीं मिलने संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि समाचार पत्र गणादेश में गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पण्डरिया पंचायत के लाभुकों को PDS वितरक ज्योति महिला स्वयं सहायता समुह द्वारा तीन माह से फ्री का राशन नहीं दिये जाने संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ है। प्रकाशित समाचार में लाभुकों द्वारा उक्त PDS वितरक के विरुद्ध अनियमित रूप से दुकान खोलने, समय पर पर्ची नहीं देने एवं माह सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर 2022 से फ्री का अनाज नहीं देने का आरोप लगाया गया है।

अतः उक्त प्रकाशित समाचार के कतरन की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

तीन माह से श्री राशान नहीं मिलने

पर लाभुकों ने किया हंगामा

10
11.01.23
गणदेश रिपोटर

भवनाथपुर : प्रखंड अंतर्गत पड़रिया पंचायत के ज्योति महीला स्वयं सहायता समूह के डीप्लर के द्वारा सरकार के द्वारा मिलने वाला फ्री का अनाज तीन माह का न्याय करने को लेकर पाचरा टोलना के लाभुकों ने जनकर किया हंगामा। बीड़ीओं सह एमओ जयपाल महतो को दुरंगर पर सूचना मिलने पर कम्प्यूटर ऑफिसर अलोक कुमार गुप्ता से जांच कराया। जहां जांच में कई गंभीर आरोप डीप्लर पर लाभुकों ने लगाया। लाभुक रामनरजन साह का चार माह से अनाज फ्री का नहीं मिला। संगीरठा देवी, दुर्गा देवी, सरिता देवी, बसंती देवी, कमंडला देवी, सरिता देवी, सुखांडि पासवान, संपी कुमारी, टिकरिया देवी, कुलसर्तिया



देवी, सुनीता देवी, मुखलाल साह, विद्यावती देवी, राजसर्तिया देवी, रुकमणि देवी, श्रुति कुंवर, कौशलया कुंवर, देवनि देवी, मंगू देवी, सीता देवी, राम अचरंज मुड़वा, शीकांत सिंह सरिता सैकड़ों लाभुकों ने बताया कि उक्त डीप्लर से हम लोग अनाज आ चुके है।

अब तक लाभुकों के शिकायत पर आधा दर्जन बार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। जबकि उस माह पूर्व इनके विरुद्ध भवनाथपुर थाना में प्रार्थनिकी दर्ज की गई थी। परन्तु सम्बंधित विभाग के मिलीभगत से दुबारा इनके डीप्लर बना दिया गया। ज्योति

महीला समूह का संचालन विकसनी देवी के नाम है। परन्तु इनके पति निररवा पासवान दुकान संचालित करते है। लाभुकों के साथ शराब पीकर बदसलूकी व गाली बर्ताव भी करते है। समय पर पत्नी कर्मा नहीं दिया जाता।
दुकान शाम को चार बजे मनमाधिक खुलने से सभी लाभुक अनाज नहीं ले पाते है। लाभुकों का आरोप है कि कुछ लोगों को बोनो सिनवर, अक्टूबर एवं नवंबर से फ्री का अनाज नहीं मिला है। मौके पर जांच करने पट्टे से कम्प्यूटर ऑफिसर अलोक कुमार ने सभी लाभुकों का लिखित बयान दर्ज कर एमओ को सौंपने की बात कही। मौके पर जेएमएस प्रखंड अध्यक्ष चन्दन टिकुर व सैकड़ों लाभुक उपस्थित थे।